कमांक-3321156/पदो/2012/424

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर म.प्र.

भोपाल, दिनांक 28 .6.2012

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग--------

2. परियोजना संचालक,
विश्व बैंक परियोजनाएं (पाइकू)
भोपाल

3. आयुक्त
भू-अर्जन एवं पुनर्वास
बाणसागर परियोजना, रीवा ।

विषय:-स्नातक उपयंत्रियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत ।

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि अनेक स्नातक उपयंत्रियों द्वारा मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी/3-1/97/3/एक दिनांक 9.1.97 में निहित मार्गदर्शी सिद्वान्त के अनुसार उपाधि प्राप्त नहीं की है ।

अत: आपकी संरचना में कार्यरत स्नातक उपयंत्रियों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी/3-1/97/3/एक दिनांक 9.1.97 (छाया प्रति संलग्न) में निहित मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अनुरूप उपाधि की जांच करें तत्पश्चात् मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अनुरूप सही पाये गये स्नातक उपयंत्रियों की जानकारी (डिग्री की सत्यापित प्रति सहित)निम्न प्रपत्र में दिनांक 30.6.2012 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । यह जानकारी प्रमुख सचिव महोदय को उपलब्ध करवाई जाना है । अत: समय-सीमा का ध्यान रखा जावें ।

स.क.	उपयंत्री का नाम	विभाग में नियुक्ति दिनांक	डिग्री पाठ्यकम में प्रवेश हेतु प्र.अ. का आ.क./दिनांक	डिप्लोमा पाठ्यकम किस श्रेणी में उर्तीण किया गया (%)	आदिवासी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव (समयावधि) से -तक	डिग्री पाठ्यकम में प्रवेश लेने की तिथि	डिग्री पाठ्यकम उर्तीण करने की तिथि	डिग्री किस श्रेणी में उर्तीण की गई एवं संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सहपत्र-उपरोक्तानुसार

(सुनील विजयवर्गीय)
मुख्य कार्मिक अधिकारी
वास्ते प्रमुख अभियता

पृष्ठांकन कमांक-3321156/पदो/2012/ 425 भोपाल,दिनांक 28.6.2012

प्रतिलिपि:-

1. संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल ।
2. प्रबंधक प्रशासन, म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण भोपाल ।
3. मुख्य अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास , विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
4. संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद भोपाल ।
5. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग ।
6. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग ।
7. प्रभारी डाटा सेंटर । कृपया विभाग की वेबसाइट पर तत्काल पृविष्टि हेतु ।

की ओर सूचनार्थ । उपरोक्त जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । उपरोक्त पत्र एवं सहपत्र विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध है ।

सहपत्रः-उपरोक्तानुसार

28/6

(सुनील विजयवर्गीय)
मुख्य कार्मिक अधिकारी
वास्ते प्रमुख अभियता

IT

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंजी 7041
दिनांक

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल

क्रमांक-सी/3-1/97/3/एक

प्रति,

भोपाल, दिनांक 9-1-97

प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/
लोक निर्माण विभाग/
जल संसाधन विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग.

विषय :- उपयंत्रियों को प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में पार्ट-टाइम डिग्री कोर्स में प्रवेश की अनुमति के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

सन्दर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2134/1/3/86/दि. 28-2-87 एवं जल संसाधन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 22(सी/118/86/पी/31/दि. 17-2-89

xxx

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में उपयंत्रियों को अंश कालीन (पार्ट टाइम) डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिये अनुमति देने के संबंध में विभाग के सन्दर्भित आदेश दिनांक 28-2-87 एवं जल संसाधन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17-2-89 को अधिक्रमित करते हुये, निम्नानुसार पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते :-

(1) अंशकालीन डिग्री कोर्स में प्रवेश देने के लिये कोई उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी ।

(2) केवल उन उपयंत्रियों के नाम अनुशंसित किये जावे, जिन्होंने आर... [illegible] चार वर्ष की सेवा की हो ।

(3) संबंधित उपयंत्री की गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन औसतन "अच्छी" श्रेणी की होना चाहिये ।

(4) ऐसे उपयंत्री जो ग्रीन कार्ड धारक है, अन्य बाते समान होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावे ।

(5) डिप्लोमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले डिप्लोमा धारियों के बारे में ही विचार किया जावे ।

(6) अंशकालीन डिग्री कोर्स में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि में ही उत्तीर्ण होना होगा, अन्यथा उनकी दी गई अनुमति निरस्त मानी जावे ।

(7) प्रत्येक कार्य विभाग में कार्यरत उपयंत्रियों की संख्या के एक प्रतिशत उपयंत्रियों को प्रतिवर्ष अनुमति दी जावे । इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उपयंत्रियों के लिये उसी प्रतिशत से स्थान सुरक्षित रखे जावे जो इस पद पर सीधी भरती के लिये म०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) आरक्षण अधिनियम 1994 में निर्धारित है ।

(8) अनुमति प्राप्त उपयंत्रियों द्वारा इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पाने पर उनकी उसी या अन्य किसी विशेष स्थान पर पदस्थापना किया जाना बंधनकारी नहीं होगा । इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख उनको दिये जाने वाले अनुमति पत्र में किया जावे ।

(9) जो उपयंत्री अंशकालीन पाठ्यक्रम के द्वारा उपाधि प्राप्त करते है, उन्हें अनिवार्य रूप से 5 वर्ष तक शासकीय सेवा करना होगी । इसके लिये उनसे अनुबंध प्राप्त कर लिया जाये ।

(10) अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उपयंत्री अपने संबंधित प्रमुख अभियन्ता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे । उनकी छानबीन प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्राप्त अंकों एवं गुण- दोषों के आधार पर इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रकाश में की जायेगी ।

(11) अनुमति देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अंशकालीन डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के फलस्वरूप उक्त उपयंत्रियों के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

सही/-
(एस० सी० पण्ड्या)
उपर सचिव
म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन- सी/3-1/97/3/एक
प्रतिलिपि :- भोपाल, दिनांक 9-1-97

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
3. प्रमुख अभियन्ता, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई विभाग
4. प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग ।

सही/-
(यू० एस० पिलैन)
उपर सचिव
म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

xxx